(प्रमाणित फोटो)

बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र
आवेदन का प्रारूप
(आवेदन पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है।)

सहायक निदेशक/जिला रोजगार अधिकारी
उप क्षेत्रीय/जिला रोजगार कार्यालय

1 प्रार्थी का पूरा नाम	
2 पिता/पति का नाम	
3 जन्म तिथि (आवेदन की तिथि को आशार्थी की आयु)	
4 श्रेणी	( ) पुरूष ( ) महिला ( ) निःशक्तजन
5 स्थाई पता	
6 पत्र व्यवहार का स्थानीय पता	
7 रोजगार कार्यालय का नाम जहाँ पंजीकृत है।	
8 रोजगार कार्यालय द्वारा आवटित पंजीयन संख्यां व दिनांक	
9 (अ) शैक्षणिक योग्यता (ब) राजस्थान राज्य के संस्थान एवं विश्वविद्यालय का नाम जहाँ से स्नातक योग्यता अर्जित की गई	
10 स्वंय के नाम खोले गये खाते का नंबर एवं बैक का नाम	
11 आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रो की प्रमाणित प्रतिलिपियां	
(क) मूल निवास प्रमाण पत्र	( )
(ख) संक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल शपथ पत्र	( )
(ग) रोजगार अधिकारी द्वारा प्रदत्त एक्स--10 (पहचान पत्र) की सत्यापित फोटो प्रति	( ) ( )
(घ) जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति	( )
(ड) स्नातक परीक्षा की अंक तालिका/डिग्री की प्रति	( )
(च) निःशक्तता का प्रमाण पत्र	( )
(छ) संक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र	( )

000001

स्थान
दिनांक

प्रार्थी के हस्ताक्षर
नाम व दिनांक सहित

नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित

<u>कार्यालय उपयोग हेतु</u>

1– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना बिन्दु 1 से 11 तक कार्यालय रिकार्ड एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न किये गये दस्तावेजो के आधार पर विभागीय दिशा निर्देशो के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत सही है।

ह. <u>लिपिक रोजगार कार्यालय</u>

1– रोजगार भत्ता स्वीकृत /अस्वीकृत किया जाता है।
(अ) स्वीकृत आदेश संख्यां दिनांक
(ब) प्रतिमाह भत्ता राशि

2– स्वीकृति की सूचना आवेदक को दी गई पत्रांक दिनांक

3– बैंक ब्यौरा
(अ) शाखा का नाम
(ब) बचत खाता संख्यां

4– यदि अस्वीकृत किया गया तो उसका कारण

000002

हस्ताक्षर अधिकारी

बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु शपथ पत्र का प्रारूप

(दस रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना चाहिये)

मैं—————————— उम्र ———— पुत्र/पुत्री/पत्नी————
निवासी——————————————— शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ
कि:–

1– यह कि मैं शपथकर्ता रोजगार कार्यालय————— में पंजीकृत हूँ।

2– यह कि शपथकर्ता की पंजीयन संख्यां———— दिनांक ——— है जो अभी भी रोजगार कार्यालय की सजीव पंजिका पर निरंतर चल रही है।

3– यह है कि शपथकर्ता यह आवेदन पत्र बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये दे रहा है तथा यह उसका प्रथम आवेदन पत्र है। शपथकर्ता किसी अन्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नही है और कहीं से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नही कर रहा है और न ही करेगा।

4– यह है कि शपथकर्ता किसी अन्य रोजगार योजना जेसे कि PMGSY MNREGA अथवा किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत लाभान्वित नही है तथा किसी भी प्रकार की छात्रवृति, सहायता या लाभ प्राप्त नही कर रहा है।

5– यह कि मैं वर्तमान में स्नातक उपाधि के पश्चात् किसी भी प्रकार की नियमित शिक्षा प्राप्त नही कर रहा हूँ और न ही वर्तमान में कही भी नियोजित/स्वनियोजित हूँ।

6. यह कि मैनें पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007(बेरोजगारी भत्ता योजना–2007) या अक्षत कौशल योजना 2009 का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

7– यह कि शपथकर्ता आवेदन दिनांक को राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की आयु सीमा के अन्तर्गत आता हैं।

000003

8– यह कि शपथकर्ता किसी भी न्यायालय से दण्डित नही हुआ हैं और न ही किसी नियोजक द्वारा बर्खास्त किया गया है।

9– यह कि शपथकर्ता के परिवार की वार्षिक आय रूपयें है।

10– यह कि मैं राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना– 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी शर्ते पूर्ण करता हूँ।

11– यह कि शपथकर्ता द्वारा आवदेन पत्र में दी गई सूचना सही है और कोई भी तथ्य छुपाया नही गया है। शपथकर्ता यह स्वीकार करता है कि गलत शपथ पत्र अथवा गलत विवरण दियें जाने पर उसको भुगतान किये गये बेरोजगारी भत्ते की धनराशि वसूल की जा सकेगी एवं नियमानुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

शपथकर्ता

घोषणा

मैं. शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र के बिन्दु 1 से 11 तक के कथन मेरी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सही है एवं इसमें कोई तथ्य छुपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करे। आज दिनांक को स्थान को सत्यापित किया ।

शपथकर्ता

(यह शपथ पत्र बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे)

अतिआवश्यक/ आजही जारी हो

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
दरबार स्कूल, परिसर,गोपीनाथ मार्ग, जयपुर

क्रमांक प.1(2)बेरोजगारी भत्ता योजना/12–13/
समस्त रोजगार कार्यालयाध्यक्ष
राजस्थान ।

दिनांकः 17.9.12

विषयः–राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना –2012 के संबंध में।
संदर्भः– निदेशालय का पत्र पृष्ठाकन प.1(2)बेरोजगारी भत्ता योजना/12–13/7315–7410 दिनांक 14.6.12

महोदय,

विषयान्तर्गत निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि **राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना–2012 के बिन्दु संख्यां 8–चयन प्रकिया के उप बिन्दु संख्यां (vi)** में आंशिक संशोधन कर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि योजना के अन्तर्गत आशार्थी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आय प्रमाण–पत्र अब राजस्व विभाग (ग्रुप–1) राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक प. 13(14) राज./ग्रुप–1/2012, दिनांकः 9.8.12 में 000004श एवं प्रकिया के अनुसार होगे।

अतः राजस्व विभाग (ग्रुप–1) राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश कमांक प 13(14) राज./ग्रुप–1/2012 दिनांक 9.8.12 द्वारा जारी आदेश के प्रति संलग्न कर निर्देश दिये जाते है कि अब उक्त योजना एवं अक्षत कौशल योजना के अन्तर्गत आशार्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रो में राजस्व विभाग के आदेश में वर्णित निर्देश /प्रकिया के अनुसार आय प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कार्यवाही करें।
संलग्नः– उक्तानुसार

भवदीय

उप निदेशक (ई0पी0)

क्रमांक प.1(2)बेरोजगारी भत्ता योजना/12–13/10585-97
दिनांकः17.9.12

प्रतिलिपिः–

1– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2– निजी सहायक,निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
3– निदेशालय के समस्त अनुभागाधिकारी।
4– नोडल अधिकारी,(कम्प्यूटर)जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रदत जारी आदेश को विभाग की वैबसाईड पर अपडेट कराने का श्रम करे।

उप निदेशक (ई0पी0)

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप--1)विभाग

क्रमांक: प.13(34)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांक : 9.8.2012

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त
राजस्थान
2. समस्त जिला कलक्टर्स
राजस्थान

:– परिपत्र –:

राज्य में तहसील एवं अन्य स्तरों पर जारी होने वाले आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों के संबंध में आ रही कठिनाईयों एवं प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु मा० मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 1.8.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये जाने हेतु राजस्व विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार आय प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अमल में लाई जानी है :–

1. राजस्व अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति विशेष का आय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा, अपितु प्रार्थी/आवेदक स्वयं द्वारा अपनी आय का उदघोषणा पत्र प्रस्तुत किया जावेगा, जिसके समर्थन में आवेदक का प्रमाणित शपथ–पत्र व दो उत्तरदायी व्यक्तियों की साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी

2. दो उत्तरदायी व्यक्तियों में (संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/जिला प्रमुख/ प्रधान/ जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/नगर पालिका सदस्य/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी) होगें। उक्त उदघोषणा के अभिकथन का प्रमाणीकरण किया जायेगा।

3. आवेदक/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आय उदघोषणा पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–'आई' एवं शपथ–पत्र का प्रारूप संलग्न परिशिष्ट– 'जे' अनुसार होगा। (परिशिष्ट संलग्न हैं)

4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उदघोषणा के अभिकथन का प्रमाणीकरण कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार)/नोटेरी पब्लिक द्वारा किया जायेगा। जिला कलक्टर द्वारा इस हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के मध्य कार्य विभाजन किया जा सकेगा।

5. आयकर रिटर्न भरने की दशा में गत वर्ष के आयकर रिटर्न की पावती की

सत्य प्रतिलिपि एवं पैनकार्ड की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

6. बीपीएल कार्ड धारकों के लिये बीपीएल कार्ड को ही आय के लिये मान्य समझा जावेगा, उनसे पृथक से आय प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्त वर्णित प्रारूप/आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। सम्पूर्ण राज्य में उदघोषणा पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप एक समान होगा। परिपत्र में वर्णित निर्देशों की पालना कराना सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से

ह०
(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप सचिव, मा० मुख्य सचिव
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग
3. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी उच्च शिक्षा विभाग
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग
9. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर
10. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

शासन उप सचिव

परिशिष्ठ – आई

आय का घोषणा पत्र

आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को ✓ से चयन करे)

प्रार्थी का फोटो

(पासपोर्ट साईज)

(उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो सत्यापित करावें)

1. प्रार्थी का नाम*
2. पिता का नाम*
3. निवास स्थान का पूर्ण पता*
   (क) वर्तमान पता :–
   (ख) स्थाई पता :–
4. गाँव/शहर* तहसील* जिला*
5. जन्म दिनांकः _____/_____/__________ जन्म स्थान उम्र
6. लिंग* पुरूष महिला वैवाहिक स्थिति : विवाहित अविवाहित
7. धर्म (आवेदक)*: जाति* : उप जाति*
8. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है? हाँ नहीं
9. क्या आप आयकर दाता हैं*? हाँ नहीं
10. मोबाईल नम्बर
11. पेन कार्ड होने की दशा में पेन कार्ड नम्बर .... एवं आयकर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें।
12. टिन नम्बर होने की दशा में टिन नम्बर .... एवं वाणिज्यिक कर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें ।
13. परिवार के सदस्य व उनकी वार्षिक आय का विवरण

क्र.सं.	सदस्य का नाम	उम्र	सम्बन्ध मुखिया से	आय/व्यवसाय व उसकी प्रकृति	वार्षिक आय (रुपये)

अन्य स्त्रोत से आय (यथा मकान किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फण्ड).......................

14. उक्त तथ्यों के सत्यापन स्वरूप दो उत्तरदायी व्यक्तियों की साक्ष्य प्रमाण पत्र एवं स्वयं का शपथ–पत्र संलग्न है।

मैं तसदीक करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांकः ..../........./..................

स्थान ....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

000007

<u>परिशिष्ठ – जे</u>

<u>शपथ पत्र</u>

प्रार्थी का फोटो

मै...................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....उम्र...............................निवासी............................... तहसील.....................जिला.....................राजस्थान शपथ पूर्वक निम्न बयान करता/करती हूँ :–

1. यह कि मुझे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (वर्ष...................) के प्रमाण स्वरूप में उद्‌घोषणा करनी है ।
2. यह कि मेरे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (वर्ष..................) के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	परिवार के सदस्य का नाम	व्यवसाय	प्रार्थी से सम्बन्ध	वार्षिक–आय रुपये में
	योग			....

3. यह कि मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा धारित भूमि/व नोशनल शेयर के धारित कुल भूमि का विवरण इस प्रकार हैः–

गाँव का नाम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	सिंचित/असिंचित	वार्षिक आय

4. यह कि मेरे परिवार में अन्य स्त्रोतों से आय निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	आय के अन्य स्त्रोत (यथा भवन सम्पति किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फण्ड आदि से आय)	वार्षिक आय
	कुल समस्त वार्षिक आय	चरण (पैरा) सं. 2,3,4 का योग

5. यह है कि मैं शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार मेरे परिवार की कुल समस्त वार्षिक आय............................ रूपये अक्षरे.......................रूपये है ।
6. मैं शपथ पूर्वक कथन करता /करती हूँ कि मेरे व मेरे परिवार के किसी सदस्य ने विगत में उक्त अंकित वार्षिक आय से भिन्न आय किसी प्रयोजनार्थ नहीं दर्शायी है तथा न ही इस बाबत कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है ।

7. मैं शपथ पूर्वक कथन करता /करती हूँ कि यह तथ्य मेरी जानकारी में है कि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथ पूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है ।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की चरण संख्या 1 से 7 मेरी निजी जानकारी से लिखाया गया है जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

हस्ताक्षर पहचानकर्ता

1.....................................

2...................................

(नाम, पता स्थान व दिनांक सहित)

प्रमाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ता नाम.................................... पिता का नाम........................जाति............... उम्र............... निवासी... ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत किया जाता है । प्रार्थी की पहचान.................... के द्वारा की गई है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी (कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक)

का नाम व पद मय सील

परिशिष्ठ – के

उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र

(i) गवाह* :

मैं [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

विभाग का नाम [ ] पद [ ]

पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

को भली प्रकार से जानता हूं इनकी वार्षिक आय [ ] रुपये है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

(हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह)

नाम.............................. दिनांक .... स्थान ....

000010

(ii) गवाह* :

मैं [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

विभाग का नाम [ ] पद [ ]

पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

को भली प्रकार से जानता हूं इनकी वार्षिक आय [ ] रुपये है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

(हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह)

नाम.............................. दिनांक .... स्थान ....

नोट :– आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें। उत्तरदायी व्यक्ति यथा – संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद् सदस्य/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगरपालिका अध्यक्ष/स्कूल के हेडमास्टर/सम्बन्धित पी.एच.सी/सी.एच.सी. के चिकित्सक/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप क्षेत्रीय/जिला रोजगार कार्यालय--------------------------------------

क्रमांक दिनांक

स्वीकृति आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ---------------- दिनांक ---------- के क्रम में आवेदनकर्ता श्री/श्रीमती/सुश्री---------------- पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री---------------- के आवेदन पत्र मय दस्तावेजो की जॉच उपरान्त आवेदनकर्ता को बेरोजगारी भत्ता योजना –2012 के अन्तर्गत स्वीकृति दिनांक से दो वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा उसके रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त करने की दिनांक तक अथवा अन्य किसी कारण से अपात्र घोषित होने की तिथि तक (जो भी पहले हो) के लिये रूपये --------------(अक्षरे रूपये ------------मात्र) प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

यह स्वीकृति आदेश आज दिनांक -------- को जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर व मोहर
रोजगार कार्यालयाध्यक्ष

000011

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1–जिला कोषाधिकारी, जिला कोष कार्यालय--------------- ।
2– शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को भेजकर लेख है कि वे आवेदक को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृत राशि उसके एकल बचत खाता संख्यां -------------- शाखा------------------ में प्रतिमाह जमा करने का कष्ट करे।
3– प्रार्थी श्री /श्रीमती/सुश्री------------------------------ को प्रेषित कर लेख है कि बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत होने की तिथि से दो वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा उसके रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त करने की दिनांक तक अथवा अधिकतम आयु सीमा तक अथवा अन्य किसी कारण से अपात्र घोषित होने की तिथि तक (जो भी पहले हो), अविलम्ब इस कार्यालय को सूचित करे तथा ऐसी अवधि का यदि आपके बैंक खाते में भत्ता जमा हो जाता है तो नियमानुसार राशि की वसूली की जायेगी एवं नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
4– रक्षित/आदेश पत्रावली ।

रोजगार कार्यालयाध्यक्ष